

न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं० 34/2025 (GCMS 2025/50)

अपीलांत	बनाम	रेस्पोंडेण्टगण
1. गफूर खान पुत्र फूसे खान जाति मुसलमान निवासी करीम की ढाणी, थाट तहसील पोकरण जिला जैसलमेर।		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, पोकरण जिला जैसलमेर।

अधिवक्ता :

- गागन खां मेहर अधिवक्ता अपीलांत
- ना० तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोंडेण्ट

दिनांक:- 11.03.2026

—:निर्णय:—

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बरिरुद्ध तहसीलदार पोकरण द्वारा मुकदमा संख्या 52/2025 राजस्थान सरकार बनाम गफूर खान अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 23.09.2025

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी केलावा की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम थाट के खसरा संख्या 18 में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पोकरण के समक्ष प्रस्तुत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पोकरण द्वारा अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलांत को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिये बगैर प्रकरण संख्या 52/2025 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में दिनांक 23.09.2025 को निर्णय पारित कर अपीलांत को अतिक्रमी घोषित कर वार्षिक लगान रूपये 0.10/- प्रति बीघा से कुल 01 रूपये का पचास गुणा 50/- रूपये का जुर्माना आरोपित किया। अपीलांत का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत के विरुद्ध त्वरित गति से कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में कानूनी एवं तथ्य संबंधी बड़ी भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांत का कब्जा अपने खेत में बनी ढाणी में है, जो गावं थाट में आई हुई है। अपीलांत की ढाणी व उसके खेत की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई पैमाइश नहीं करवाई गई है और न ही कोई नेखमबंदी करवाई गई है। अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। अपीलांत अपने पूर्वजों के समय से अपने खातेदारी खेत में बनी ढाणी में परिवार सहित निवास कर रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि अपीलांत द्वारा अतिक्रमण करना स्वीकार किया गया है परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं है।

अपीलांत ने अपील में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांत को साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर न देकर दिनांक 23.09.2025 को एक तरफा कार्यवाही करते हुए मनगढत आधारों पर निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्यायिक सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांत द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांत को उक्त पारित निर्णय की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांत द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।



Page 1 of 2


जिला कलक्टर
जयपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं० 34/2025 (GCMS 2025/50)

वक्त बहस अधिवक्ता अपीलांत अनुपस्थित। रेस्पोजेण्ट की ओर से राज पैरोकार (नायब तहसीलदार) उपस्थित। राजपैराकार को सुना गया। राज पैरोकार द्वारा कथन किया गया है कि अपीलांत के द्वारा ग्राम थाट के खसरा नम्बर 18 रकवा 7.9156 हैक्टैयर किस्म गै.मु. आगोर में से 224 वर्गमीटर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। जिस संबंध में आलोच्य निर्णय रेस्पोजेण्ट तहसीलदार पोकरण द्वारा उन्हें प्राप्त अधिकारों के तहत पारित किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की गई है। रेस्पोजेण्ट द्वारा म्याद अधिनियम के प्रार्थना-पत्र पर कोई आपति नहीं की गई।

उभयपक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। अपील अपीलांत अम्दर म्याद सुमार की जाती है तथा अपील का निस्तारण गुणावगुण पर किये जाने का विनिश्चय किया गया। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विवादग्रस्त भूमि राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलांत का उक्त भूमि में किसी प्रकार का हक एवं अधिकार निहित होने के कोई साक्ष्य दस्तावेज अपीलांत द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किये जाने के कोई ठोस आधार उपलब्ध नहीं है। अतः अपील अपीलांत खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष अपना-अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




जिला कलक्टर,
जैसलमेर,
जैसलमेर

[

]

प्रस्तु

विशेष